**धन्यवाद मप्र अभियान** निगम आयुक्त ने कचरे का सही निपटान करने वाले लोगों का माना आभार, स्वच्छता एप से भी अवगत कराया

# स्वच्छता में सहयोग करने वालों को मिठाई खिलाई, संम्मानित किया

राज

**रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क**

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत बुधवार को झोन क्रमांक -1 के वार्डों में डोर टू डोर जाकर उन रहवासियों का सम्मान किया गया जो अपने घरों का कचरा अलग-अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही करते है। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने नागरिकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छग्रहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता में सहयोग करने वाले रहवासियों को सम्मान उनके घरों पर पहुच कर किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।

सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आज अभियान के दूसरे दिन शहर के चारों झोनों पर समारोह आयोजित कर नागरिकों आदि का पुष्प मालाओं, पुष्प गुच्छे व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।

राज एक्सप्रेस 3/12/21

# जिले में सभी नागरिकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

रतलाम। रतलाम जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।

संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। २१७

राष्ट्रएक्सप्रेस 3/12/21

# फेस मास्क लगाना अनिवार्य

रतलाम। जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोतम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रसारण

प्रसारण 3/12/21

कोरोना को रोकने प्रशासन के तीन प्रयास, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

# प्रशासन सख्त: अब आयोजनों में बगैर वैक्सीनेशन नो इंट्री

रतलाम। जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है।

## ▶ मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश जारी

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें । सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा ।

## नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें

उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके ।साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

## ड्यू डेट निकलने के बाद भी टीकाकरण में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई शुरू

वैक्सीनेशन का दूसरा डोस ड्यू होने के बाद भी टीका नहीं लगवाने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में की जा रही यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। रतलाम शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। ऐसे लोगों द्वारा वैक्सीनेशन न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो उसे नोटिस दिया जाएगा, किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो उस प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले डोज के 84 दिन बाद दूसरा डोस लगवाना है लेकिन कई लोग काफी लापरवाही बरतते हुए डेढ़ सौ, दो सौ दिन बाद भी दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

## मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना, दुकान होगी बंद

कलेक्टर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा व सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नवभारत

नवभारत 3/12/21

# फोटो निर्वाचक नामावली में दावे/आपत्तियां 5 दिसम्बर तक लिए जाएंगे

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी। इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता, जिनकी आयु एक जनवरी, 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष है, तो संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनके घर जाकर सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये पात्र होंगे। इसके लिये इन्हें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क करना चाहिए। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने के लिए वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ा जा सकता है।

प्रसारण 3/12/21

# फोटो निर्वाचक नामावली में दावे/आपत्तियाँ 5 तक लिए जायेंगे

नवभारत

रतलाम। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी। इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता, जिनकी आयु एक जनवरी, 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष हैं, तो संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनके घर जाकर सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये पात्र होंगे। इसके लिये इन्हें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क करना चाहिए। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने के लिए वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ा जा सकता है।

नवभारत 3/12/21

# 58 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है।

इसके तहत गुरुवार को 58 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 7200, ट्रैक्टर-ट्राली से 19930, काम्पेक्टर सूखा कचरा 12855, काम्पेक्टर गीला कचरा 18650 कुल 58635 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया। नई.

# 5637 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार तक 5637 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। नई.

नईदुनिया 3/12/21

# मास्क के साथ मैरिज गार्डन में जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट अनिवार्य

## पालन नहीं करवाने वाले गार्डन संचालकों पर की जाएगी सख्त कर्रावाई

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कोरोनो के संभावित खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए है। जहां लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है वहीं शादी समारोह में जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। जो भी व्यक्ति मैरिज गार्डन में बिना वैक्सीनेशन के पाया गया तो उसके लिए मैरिज गार्डन संचालकों को जिम्मेदार माना जाएगा।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें की उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वदेश

उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा।

### मास्क लगाना अनिवार्य किया

जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 से लेकर 250 रुपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

### नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें

उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा दो गज की दूरी का पालन करें।

### वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई शुरू

शहर में ड्यू डेट निकलने के बाद भी टीकाकरण में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। ऐसे लोगों द्वारा वैक्सीनेशन न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो उसे नोटिस दिया जाएगा; किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो उस प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा।

स्वदेश 3/12/21

# शादी-ब्याह में बिना वैक्सीनेशन पाये जाने पर मैरिज गार्डन संचालक पर होगी कार्रवाई

## एसडीएम ने संचालकों को दिए निर्देश

**रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क**

जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें।

यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें। सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा।

**नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें:** उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

राज एक्सप्रेस 3/12/21

# रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड हो जाएगा शहर

## कोरोना टीकाकरण : लक्ष्य पूर्ति के लिए आज से घर-घर जाएगी टीमें, लोगों को करेंगी जागरूक

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत रतलाम शहर रविवार तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेटेड होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वर्तमान मे शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घर-घर टीमें जाएंगी। दुकानें चेक की जाएगी, दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के पाए गए तो दुकान बंद करवाकर जुर्माना वसूल किया जाएगा।

वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार शाम को की गई। सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, महिला बाल विकास विभाग के रजनीश सिन्हा आदि उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया तथा सिटी एसडीएम को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन टीमें काम में जुट जाएं। मोबाइल टीमें संचालित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शुक्रवार को रतलाम शहर एवं पिपलौदा तथा रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा।

पिपलौदा में 6500 तथा रतलाम ग्रामीण में 20 हजार एवं रतलाम शहर में दो हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद चार दिसंबर को जावरा में 20 हजार, आलोट में 15 हजार तथा बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र में 15 हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। पांच दिसंबर को सैलाना में आठ हजार वैक्सीनेशन किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन अभियान में प्रत्येक सेंटर पर सुबह नौ बजे तक टीमें पहुंच जाएं। कम वैक्सीनेशन होने पर नोडल अधिकारी भी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे। नई.

### ड्यू डेट के बाद भी टीका नहीं लगवाने वालों पर होगी कार्रवाई

एसडीएम गेहलोत ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। ऐसे लोगों द्वारा वैक्सीनेशन न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो उसे नोटिस दिया जाएगा, किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं तो उस प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा।

### मैरिज गार्डन में हर व्यक्ति को दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक में एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखे जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐ[…] स्थिति भी देखें। सभी के वैक्सीनेश[…] सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी [...] पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो [...] कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें [...] उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका [...] अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति [...] बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया ज[...] पर मैरिज गार्डन संचालक के खिल[...] कार्रवाई की जाएगी।

### नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें

एसडीएम ने आम नागरिकों से अ[...] किया है कि वे अपने वैक्सीने[...] सर्टिफिकेट को मोबाइल में अथवा [...] कापी में अपने साथ रखें ताकि कहीं [...] चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा स[...] कोविड प्रोटोकाल का पालन करते [...] मास्क पहनें तथा शारीरिक दूरी रखने [...] पालन करें।

नईदुनिया 3/12/21

मैरिज गार्डन संचालकों को प्रशासन ने जारी किए आदेश

# मैरिज गार्डन में बिना वैक्सीन कोई मिला तो गार्डन संचालक होंगे जिम्मेदार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोरोना संक्रमण की आहट के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वर्तमान में विवाह समारोह के दौरान मैरिज गार्डन में होने वाले आयोजनों के संबंध प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक बताया है। यदि जांच के दौरान गार्डन में कोई बगैर वैक्सीनेशन का पाया जाता है तो इसके लिए गार्डन संचालक जिम्मेदार होंगे। प्रशासन के इस निर्देश ने मैरिज गार्डन संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक बुलाई गई। इसमें एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं या एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें।

एसडीएम ने कहा कि सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाए। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है।

## वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें साथ

प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए आमजन से आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में या हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी जांच होने पर उसे दिखाया जा सके। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की, जिससे लोग बीमारी से बचा जा सके। रतलाम शहर एसडीएम ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है।

पत्रिका 3/12/21

मेडिकल कॉलेज में रेड अलर्ट, व्यवस्थाओं की फिर से हो रही जांच पड़ताल

# तीसरी लहर की आहट पर जागे जिम्मेदार

# दूसरी लहर के दौरान ही सीटी स्कैन मशीन आने का था दावा, 5 माह बाद भी नहीं आई

एक्सक्लूसिव

सौरभ पाठक
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौर में स्वास्थ्य महकमें की सांसे फूलने लगी थी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को भर्ती तो किया जा रहा था लेकिन मरीजों का सीटी स्कैन कराने के लिए उन्हे निजी सेंटर पर भेजा जा रहा था। सीटी स्कैन को लेकर मरीजों की बढ़ती परेशानी को कोविड के चरम पर होने के दौरान दो सप्ताह के भीतर सीटी स्कैन मशीन मेडिकल कॉलेज में आने का दावा किया गया था जो कि खोखला साबित हुआ है। पांच माह बीत जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में आने वाली सीटी स्कैन मशीन नही आ सकी है।

कोविड की दूसरी लहर के दौर में मरीजों के बेहतर उपचार के दावे भी कई बारे मेडिकल कॉलेज में खोखले साबित होते नजर आए थे लेकिन ऑक्सीजन के लिए यहां आना हर किसी की मजबूरी बन गया था। दरअसल यहां आने वाले मरीजों को सीटी स्कैन कराने के लिए निजी सेंटर पर जाना पड़ता था, इसके लिए मरीज को परिजनों के माध्यम से सेंटर तक पहुंचाने के लिए घंटों एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ता था।

## सीटी स्कैन का अब भी इंतजार

कोविड की दूसरी लहर के दौर में मरीजों की सीटी स्कैन की परेशानी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन बुलवाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जिला अस्पताल में इसके लिए स्थान का चयन करने के साथ ही वहां पर इसे रखने के लिए ढांचा भी तैयार किया गया था और मशीन को अंदर तक पहुंचाने के लिए उसके हिसाब से पूरा निर्माण कार्य किया गया था लेकिन सारी तैयारियां होने के बाद कोरोना का दौर जब थमने लगा तो जिम्मेदार भी लापरवाह होकर चुप बैठ गए।

## फिर 15 से 20 दिन का दावा

देश और प्रदेश में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देख अब फिर से हर कोई अलर्ट मोड पर आ गया है। मेडिकल कॉलेज को भी सीटी स्कैन मशीन की फिर से याद आ गई जिसके लिए उनके द्वारा पत्राचार करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं एक बार फिर से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आगामी 15 से 20 दिन में सीटी स्कैन मशीन रतलाम आ जाएगी लेकिन इसके आने के बाद इसका इंस्टॉलेशन कितने दिन में पूरा होता है और कितने दिन में यह पूरी तरह से शुरू हो जाती है, महत्वपूर्ण रहेगा।

## रेड अलर्ट पर मंथन

वही दूसरी ओर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर गुरुवार को मेडिकल कॉलेज ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आनन-फानन में अब व्यवस्थाओं को खंगाला जाना शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल में साधन-संसाधनों के साथ ही उपचार के लिए दवाओं आवश्यक दवा और अन्य सामग्रियों की जानकारी जुटाई गई। वही व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई।

### इनकी उपलब्धता पर ध्यान

तीसरी लहर की आशंका के चलते गुरुवार को मेडिकल कॉलेज डीन की मौजूदगी में शिशु रोग विभाग, टीबी, मेडिसिन, केजुअल मेडिकल ऑफिसर, ई-औषधी, एनएसथिसिया विभाग के प्रमुख के साथ अस्पताल अधीक्षक क मौजूदगी में व्यावस्थओं को लेकर बैठक हुई। इसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं, वार्ड के साथ उनमें बेड की स्थिति को भी जांचा परखा है।

### जल्द आएगी सीटी स्कैन मशीन

सीटी स्कैन मशीन बुलाए जाने के लिए पत्राचार किया गया है, आगामी 15 से 2 दिनों के भीतर मशीन रतलाम आने की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया है और व्यवस्थाओं की पड़ताल कर रहे है। -**डॉ. जितेंद्र गुप्ता**, डीन, शासकीय मेडिकल कॉलेज, रतलाम

पत्रिका 3/12/21

**धोखा देकर भूखण्ड विक्रय किया-** माणक चौक थाने पर नगर निगम उपयंत्री ब्रजेश पिता टंटूलाल कुशवाह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपीगणों द्वारा अवैध रूप से नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगर पालिका निगम से अनुमति प्राप्त किए बिना भूखण्डों के रूप में विभाजित कर अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे अवैध कॉलोनी का निर्माणकर प्रावधानों के विपरित आमजन को धोखा देकर भूखण्ड का विक्रय किया गया। इस मामले में आरोपी मुजिब पिता इनामुरेहमान निवासी अशोक नगर, अशरफ बेलिम पिता अब्दुल कलाम निवासी मोहन टाकीज, अब्दुल वहीद पिता अब्दुल कादिर निवासी मोहन टाकीज एवं बालकृष्ण पिता रामनारायण पिपलौदिया निवासी महावीर नगर के खिलाफ धारा 420 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया।

स्वदेश

**धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज -** स्टेशन रोड थाना पुलिस के अनुसार नगर पालिका निगम के उपयंत्री मनीष तिवारी द्वारा कार्यालय नगर पालिका निगम का पत्र क्र.2021-22 दिनांक 26.11.2021 का पत्र प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु लाकर पेश किया गया। उक्त पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया में पुलिस ने धबाईजी का वास निवासी तेजसिंह पिता शंभूसिंह धबाई के खिलाफ धारा 420 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया।

स्वदेश 3/12/21

## मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश

# बगैर वैक्सीनेशन कोई व्यक्ति मैरिज गार्डन में उपस्थित मिला तो ज़िम्मेदार गार्डन संचालक होंगे

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें। सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है।

### नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें

उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा।

प्रसारण

प्रसारण 3/12/21

# बगैर वैक्सीनेशन कोई व्यक्ति मैरिज गार्डन में उपस्थित मिला तो जिम्मेदार गार्डन संचालक होंगे

## मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मैरिज गार्डन संचालकों की आयोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शहर श्री अभिषेक गेहलोत ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि यह मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति को गेट पर मौजूद रखें जो वहां आने वाले सभी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। यदि दोनों डोज पूर्ण हो गए हैं अथवा एक डोज लग चुका है और दूसरे डोज की ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो ऐसी स्थिति भी देखें ।

सभी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें। यदि किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो तो कोविन पोर्टल के माध्यम से देखें कि उक्त व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो चुका है अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना वैक्सीनेशन के व्यक्ति पाया जाने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कारंवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में होने वाले समारोह में उपस्थित रहने वाले हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसके वैक्सीनेशन की जांच करना, मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के मैरिज गार्डन में पाया जाता है तो इसके लिए मैरिज गार्डन संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा ।

**नागरिक भी अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखें**

उन्होंने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल में अथवा हार्ड कॉपी में अपने साथ रखें ताकि कहीं भी चेकिंग होने पर उसे दिखाया जा सके साथ ही उन्होंने यह भी सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अवन्तिका।

# फेस मास्क लगाना अनिवार्य, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

रतलाम। रतलाम जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अवन्तिका 3/12/21

# एक सप्ताह में कोरोना के 111 नए मरीज मिले, इनमें 52 प्रतिशत भोपाल के

प्रसारण न्यूज़ • भोपाल

हफ्ते भर में प्रदेश में कोरोना के 111 नए मरीज मिले हैं, इनमें 58 यानी 52 प्रतिशत मरीज भोपाल के हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में बुधवार को 12 मरीज मिले हैं। इनमें सात भोपाल, चार इंदौर और एक जबलपुर का मरीज शामिल है। पिछले एक हफ्ते में हर दिन 52 से 58 हजार सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 128 है। इनमें 65 मरीज भोपाल में हैं। इंदौर में 41 और रायसेन में 12 सक्रिय मरीज हैं।

**खतरे को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई** - उधर, कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिक से अधिक सैंपल आरटी-पीसीआर तकनीक से जांचने को कहा गया है ताकि जांच में किसी तरह का संशय नहीं रहे। लक्षण वाले मरीजों को घर की जगह अस्पताल में भर्ती करने को कहा गया है।

**विदेश से आए यात्रियों का नहीं मिल रहा पता**- नवंबर में प्रदेश में तीन हजार यात्री विदेश से आए हैं, इनमें तीन दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन यात्रियों को खोजने में मुश्किल हो रही है। इसकी वजह यह कि स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट अथारिटी से जो सूची मिली है उसमें पता और फोन नंबर पासपोर्ट के आधार पर हैं, जबकि कई लोगों का पता और फोन नंबर बदल गया है।

प्रसारण

प्रसारण 3/12/21

# अवैध कॉलोनी के मामले में 5 फंसे

रतलाम, नप्र। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर से हरी झंडी मिलने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना शुरू कर दिया है। अवैध कॉलोनी पर की गई कार्रवाई का मामला अब थाने पहुंचने लगा है। नगर निगम के उपयंत्री के आवेदन पर हाल ही में पांच लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर हुई है।

नगर पालिक निगम के उपयंत्री मनीष तिवारी और ब्रजेश कुशवाह ने स्टेशनरोड और माणकचौक थाने में कार्रवाई के लिए दो अलग-अलग आवेदन दिए है। अशोकनगर ग्रीन सिटी के पीछे के मामले में ब्रजेश कुशवाह ने माणकचौक थाने में आवेदन दिया है जिसमें पांच लोग धोखाधड़ी के मामले में फंसे है। आरोप है कि इन लोगों ने अवैध रूप से नगर तथा ग्राम निवास विभाग रतलाम एवं नगर पालिक निगम रतलाम से अनुमति हासिल किए बिना भूखंडों के रूप में विभाजित कर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्रावधानों के विपरीत आमजन को धोखा देकर भूखंड बेचे गए। माणकचौक पुलिस के मुताबिक फ़रियादी ब्रजेश कुशवाह की रिपोर्ट पर मुजीब निवासी अशोकनगर, अशरफ बेलिम निवासी ईमलीवाली गली मोहन टॉकीज, अब्दुल वहीद निवासी ईमली वाली गली मोहन टॉकीज के अलावा बालकृष्ण निवासी भारती फ्लोअर मिल महावीरनगर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला 420 भादवि में दर्ज किया है। विवेचना उपनिरीक्षक सचिन डावर कर रहे है। इसके अलावा धोखाधड़ी का एक अन्य मामला स्टेशनरोड थाना पुलिस ने नगर निगम के सब इंजीनियर मनीष कुमार तिवारी के पत्र पर से तेजसिंह निवासी धवाईजी का वास के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुगनश्री कॉलोनी के पीछे ऊंकालारोड के संबंध में उपयंत्री मनीष कुमार तिवारी ने एक पत्र अपराध कायम के लिए थाने में दिया जिसका अवलोकन करने पर पुलिस थाना स्टेशनरोड ने मामले को धोखाधड़ी का पाए जाने पर अपराध 420 भादवि में कायम किया है। पृ.क्री.२

प्रभात किरण २/१२/२१

# दूसरों की भी चिंता करें-कलेक्टर

रतलाम, नप्र। कोरोना आशंका को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एस.पी. गौरव तिवारी ने शहर घूमकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया।

नगर भ्रमण दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से मास्क पहनने और टीके के दोनों डोज लगवाने की अपील कर दुकानदारों को चेतावनी दी कि दुकानदार और कर्मचारी अगर बिना टीके लगाए मिले या मास्क नहीं पहने मिले तो दुकान बंद कर दी जाएगी और जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। कलेक्टरए एसपी ने आमजन से कहा कि कोरोना से खुद को भी बचाए और दूसरो को भी बचाने की चिंता करें। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत भी साथ रहे। कलेक्टर और एस.पी. ने अधिकारियों के साथ दो बत्ती से लेकर रानीपुरा, हरमाला रोड, घासबाजार, चांदनीचौक, लकड़पीठा, बाजनाबसस्टेंड, गौशाला रोड, राजेन्द्रनगर, हाट रोड, शहर सराय, सैलाना बस स्टेंड के क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए शहर में मास्क पहनने का जायजा लिया।

## दुकान बंद करवाकर टीका लगाने भेजा

रतलाम, नप्र। धानमंडी में चाय के थोक दुकानदार का मोबाइल चेक किया जिसमे दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए जाने पर दुकान बंद कराई गई और वैक्सीनेशन के लिए भेजा। साथ में नगर निगम के वाहन ने चलते हुए नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की जा रही थी। निगम अमले ने जुर्माना वसूली की कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अधिकारियों की ओर से शहर का नियमित भ्रमण किया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अब नियमित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों के मोबाइल चेक करके दोनों डोज की जानकारी ली जाएगी। 5.वी.2

प्रभातकिरण 2/12/21

अवैध कालोनियां विकसित करने वालों पर पुलिस कार्यवाही का सिलसिला शुरु

# दो मामलों में पांच कालोनाईजरों पर धोखाधड़ी के आपराधिक प्रकरण दर्ज

प्रसारण न्यूज़ ♦ रतलाम

शहर के आसपास बनाई जा रही अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब इन कालोनाईजरों पर पुलिस कार्यवाही का सिलसिला शुरु कर दिया गया है। दो अलग अलग मामलों मे पांच कालोनाईजरों के खिलाफ धोखाधड़ी के आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले भर में अवैध कालोनियों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में रतलाम शहर के आसपास विकसित की जा रही नौ अवैध कालोनियों के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। अवैध कालोनियों के निर्माण को ध्वस्त करने के बाद अब इन कालोनाईजरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का सिलसिला शुरु हो चुका है। नगर निगम द्वारा ऐसे सभी कालोनाईजरों के विरुद्ध जांच कर प्रतिवेदन पुलिस को भेजे जा रहे है जिससे कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरु की जा सके। पहले चरण में दो अवैध कालोनियों के पांच कालोनाईजरों पर धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज किए गए है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्टेशन रोड पुलिस ने ऊंकाला रोड पर शगुन श्री कालोनी के पीछे बनाई जा रही अवैध कालोनी के मामले मे नगर निगम के सब इंजीनियर मनीष तिवारी के जांच प्रतिवेदन पर आरोपी तेज सिंह पिता शंभू सिंह धबाई नि. धबाई जी का वास के विरुद्ध भादवि की धारा 420 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

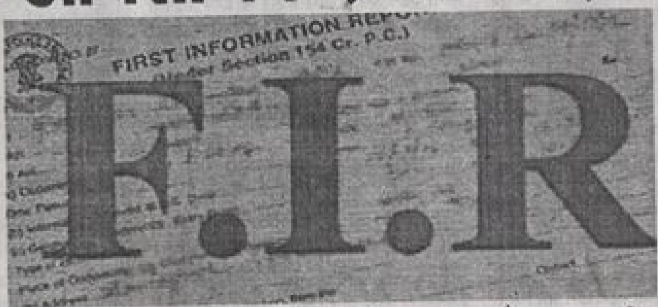


इसी तरह माणकचौक पुलिस ने अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे बनाई जा रही अवैध कालोनी के मामले में मुजीब पिता इनामुर रहमान नि.अशोक नगर, अशरफ बेलिम पिता अब्दुल बेलिम.अब्दुल वहीद पिता अब्दुल कादिर नि.मोहन टाकीज और बालकृष्ण पिता रामनारायण पिपलोदिया नि.महावीर नगर के विरुद्ध भादवि की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

उक्त अवैध कालोनी का जांच प्रतिवेदन नगर निगम के सब इंजीनियर ब्रजेश कुशवाह द्वारा दिया गया है। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अभी सात और अवैध कालोनियों के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने है। इन कालोनियों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन तैयार कर लिए गए है और इन्हे पुलिस को भेजा जा चुका है।

प्रसारण 3/12/21

# घर-घर वैक्सीनेशन कार्य का निगम आयुक्त झारिया द्वारा निरीक्षण

## मास्क नहीं लगाने पर 75 व्यक्ति पर 100-100 रूपये का किया जुर्माना

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शहर के नागरिकों का शत-प्रतिशत कोरोना टीकाकरण किये जाने हेतु घर-घर वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण किया साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क अनिवार्य के निर्देश वीसी से प्राप्त होने पर नगर में ऐसे नागरिक जो कि बिना मास्क के पाये गये उन पर जुर्माना कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः घर-घर दस्तक वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया वे प्रत्येक घर जाकर पूरे परिवार के वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी लें तथा कोरोना के पहले व दूसरे टीके से वंचित नागरिकों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं तथा अभियान के तहत एक भी घर ना छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखें।

शासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने की अनिवार्यता किये जाने के निर्देश वीसी में दिये जाने के निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने 75 ऐसे नागरिक जो कि बिना मास्क के पाये गये, उन पर 100-100 रूपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाइश दी। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर अर्जुन, सैफुद्दीन चांदनी चौक पर 200-200, गोपाल न्यू रोड, राजू, कांतिलाल, अजय जैन घांस बाजार पर 100-100, विकास, विजय राठौर न्यू रोड, सुरेश माणक चौक, अरविन्द, मनीष, रवि, विदान सोनी गणेश देवरी, विनोद नौलाईपुरा, अजय माणक चौक पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इस अवसर पर उपयंत्री राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी व स्पाट फाईन दल के सदस्य आदि उपस्थित थे। प्रसारण

प्रसारण 3/12/21

# कलेक्टर, एसपी ने शहर भ्रमण किया

रतलाम ● कोरोना आशंका के मद्देनजर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने शहर में भ्रमण किया। अधिकारियों ने सभी व्यक्तियों से मास्क पहनने और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील माइक पर की और दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि उनके द्वारा दोनों डोज नहीं लगवाने पर या मास्क नहीं पहनने पर दुकान बंद कर दी जाएगी जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। कलेक्टर एसपी ने दो बत्ती से लेकर रानीपुरा, हरमाला रोड, घास बाजार, चांदनी चौक, लकड़पीठा, बाजना बस स्टैंड, गौशाला रोड, राजेंद्र नगर, हाट रोड, शहर सराय, सैलाना बस स्टैंड के क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए शहर में मास्क पहनने का जायजा लिया। लोगों से दोनों डोज की पूछताछ की तथा वैक्सीन के दोनों डोज हेतु अपील की व प्रेरित भी किया। धानमंडी में चाय के थोक दुकानदार का मोबाइल चेक किया गया जिसमें दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए जाने पर दुकान बंद कराई गई और वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया। कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों द्वारा शहर का नियमित भ्रमण किया जाएगा। स्वदेश

स्वदेश 3/12/21

21/5

### मास्क नहीं लगाने पर 75 लोगों पर किया जुर्माना, दी समझाइश

# वैक्सीनेशन के लिए घर-घर दस्तक दी

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

रतलाम शहर के नागरिकों का शत-प्रतिशत कोरोना टीकाकरण किये जाने के लिए घर-घर वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण किया साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क अनिवार्य के निर्देश वीसी से प्राप्त होने पर नगर में ऐसे नागरिक जो कि बिना मास्क के पाये गये उन पर जुर्माना कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी।

निगम आयुक्त ने प्रातः घर-घर दस्तक वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया वे प्रत्येक घर जाकर पुरे परिवार के वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी लें तथा कोरोना के पहले व दूसरे टीके से वंचित नागरिकों को अनिवार्य रूप से टीका लगवायें तथा अभियान के तहत एक भी घर ना छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखें।

### निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण

शासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने की अनिवार्यता किये जाने के निर्देश वीसी में दिये जाने के निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रो में निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने 75 ऐसे नागरिक जो कि बिना मास्क के पाये गये उन पर 100-100 रूपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर अर्जुन, सैफुद्दीन चांदनी चौक पर 200-200, गोपाल न्यू रोड, राजू, कांतीलाल, अजय जैन घांस बाजार पर 100-100, विकास, विजय राठौर न्यू रोड, सुरेष माणक चौक, अरविन्द, मनीष, रवि, विदान सोनी गणेश देवरी, विनोद नौलाईपुरा, अजय माणक चौक पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इस अवसर पर उपयंत्री राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, स्पाट फाईन दल आदि उपस्थित था।

राज एक्सप्रेस 3/12/21

# मास्क नहीं लगाने पर 75 एवं गंदगी करने वाले 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● स्वदेश समाचार

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने प्रात: घर-घर दस्तक वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया वे प्रत्येक घर जाकर पूरे परिवार के वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी लें तथा कोरोना के पहले व दूसरे टीके से वंचित नागरिकों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं तथा अभियान के तहत एक भी घर ना छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखें।

शासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने की अनिवार्यता किए जाने के निर्देश वीसी में दिए जाने के निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने 75 ऐसे नागरिक जो कि बिना मास्क के पाए गए उन पर 100-100 रुपए का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी। इसके अलावा खुले में गंदगी करने पर 15 व्यक्तियों पर 50-50 रुपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इस अवसर पर उपयंत्री राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, स्पॉट फाईन दल आदि उपस्थित था।

स्वदेश 3/12/21

# कचरे का सही ढंग से निपटान कर पाया सम्मान

स्वच्छता के साथी रहवासी का सम्मान करते हुए नगर निगमकर्मी। ●नईदुनिया

रतलाम। स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत गुरुवार को शहर के चारों जोन अनेक वार्डों में डोर टू डोर जाकर उन रहवासियों का सम्मान किया गया जो अपने घरों का कचरा अलग-अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही करते हैं।

इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने नागरिकों का स्वागत तिलक लगाकर किया। इसके बाद फूलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिन घरों में कचरे का सही निपटान और स्वच्छता को महत्व दिया जा रहा है, वहां स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक रंगोली का निर्माण भी किया गया। उपायुक्त विकास सोलकी, स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

नईदुनिया 3/12/21

# निगम के आराम पसंद अधिकारियों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

भास्कर संवाददाता | रतलाम

भास्कर

नगर निगम के आराम पसंद अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। संबंधित निगमकर्मी के कार्य परफार्मेंस को परखा जाएगा। इसमें समय-समय पर दिए काम को ठीक से नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।

गुरुवार को निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आयुक्त सोमनाथ झारिया को इसके निर्देश दे दिए हैं। इसमें 20 साल की सेवा और 50 साल से उम्र वाले निगमकर्मियों का वर्क परफार्मेंस चेक किया जाएगा। कलेक्टर के पूछने पर आयुक्त झारिया ने तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाने की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा सिर्फ तृतीय और चतुर्थ नहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को इसके दायरे में लाया जाकर सूचीबद्ध किया जाए।

दै. भास्कर 3/12/21

नगर निगम को अवैध निर्माण तोड़ने के खर्च की राशि भी जमा नहीं कराई

# अवैध कॉलोनियों के पांच कालोनाइजरों पर धोखाधड़ी का प्रकरण, अन्य की जांच जारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में अवैध कालोनियों का निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत स्टेशन रोड व माणकचौक थाने पर धोखाधड़ी का एक-एक प्रकरण दर्ज किया गया है। स्टेशन रोड थाना पर एक व माणकचौक थाना पर चार आरोपितों के खिलाफ नगर व ग्राम निवेश एवं नगर निगम की अनुमति के बगैर कालोनी का निर्माण करने पर भादवि की धारा 420 के तहत एफआइआर की गई है। वहीं दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में चार कालोनी के मामले की पुलिस जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा तीन माह से मुहिम चलाई जा रही है। पहले नामली थाना पर अवैध कालोनी निर्माण करने पर 13 आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार बुधवार रात माणकचौक पुलिस ने नगर निगम के प्रतिवेदन पर अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे अवैध कालोनी का निर्माण करने पर आरोपित मुजिब पुत्र इनामुर्रहमान निवासी अशोक नगर, अशरफ बेलिम पुत्र अब्दुल कलाम बेलिम व अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल कादर निवासी इमलीवाली गली मोहन टाकीज क्षेत्र और बालकृष्ण पुत्र रामनारायण पिपलोदिया निवासी महावीर नगर के खिलाफ बगैर लाइसेंस व अनुमति के अवैध कालोनी निर्माण करने पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी प्रकार स्टेशन रोड थाना पर ऊंकाला रोड क्षेत्र में अवैध कालोनी का निर्माण करने पर आरोपित तेजसिंह धभाई पुत्र शंभूसिंह धभाई निवासी धभाईजी का वास के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

## पहले तोड़ा गया था अवैध निर्माण

नगर निगम ने पुलिस को भेजे प्रतिवेदन में बताया कि वार्ड क्रमांक 24 में अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे आरोपितों ने सर्वे क्रमांक 534/2, 534/4/2/2, 534/4/12 व 534/4/2/1 रकबा 0.489 हेक्टेयर भूमि पर नगर व ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम से अनुमति प्राप्त किए बगैर भूखंड विभाजित कर अवैध कालोनी निर्माण की। राजस्व व पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने 18 नवंबर 2021 को मौके पर निर्मित सड़क निर्माण, भूखंडों की बाउंड्रीवाल, सीवर लाइन व वायर फेंसिंग को हटाया था। अवैध निर्माण हटाने पर खर्च हुई राशि 67 हजार 500 रुपये नगर निगम में जमा कराने आरोपितों को नोटिस दिए थे, लेकिन उक्त राशि भी जमा नहीं कराई गई। इसी प्रकार वार्ड 28 के ऊंकाला रोड क्षेत्र में अवैध कालोनी स्थल का पंचनामा बनाकर सीसी रोड व बाउंड्रीवाल तोड़ी गई थी। कालोनाइजर को खर्च राशि 30 हजार रुपये जमा कराने नोटिस दिया था, लेकिन राशि उसने भी जमा नहीं कराई।

## जांच जारी

माणकचौक व स्टेशन रोड पुलिस के अनुसार आरोपित कालोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। उधर दीनदयाल नगर थाना प्रभारी शिवमंगलसिंह सेंगर के अनुसार उनके थाना क्षेत्र में चार कालोनियों के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा प्रतिवेदन दिए गए हैं। कागजातों की जांच की जा रही है। जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

नईदुनिया 3/12/21

**झील संरक्षण** • प्राचीन अमृतसागर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम तेज, 22.84 करोड़ रुपए खर्च होंगे

# नाव से तालाब के बीच जाकर इंदौर की टीम ने नापी गहराई, ट्रीटमेंट के लिए गंदे पानी के लिए सैंपल

भास्कर संवाददाता | रतलाम

प्राचीन अमृत सागर तालाब के गंदे पानी को साफ करके सौंदर्यीकरण करने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। तालाब के बदबूदार और गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर साफ करने के लिए गुरुवार को इंदौर की टीम ने तालाब में अलग-अलग जगह से सैंपल लिए। इसके लिए चार सदस्यीय टीम ने एसडीआरएफ की मदद ली। नाव के जरिए तालाब के बीच तक जाकर गहराई नापी, साथ ही गंदे पानी से बने दलदल का सैंपल लिया। इस दौरान अमृत सागर झील संरक्षण योजना के प्रभारी अधिकारी अरविंद दशोत्तर, उद्यान पर्यवेक्षक अनिल पारा साथ रहे।

इसके पहले 15 नवंबर को आर्किटेक्ट श्रुति व्यास, सचिन चतुर्वेदी, रिमझिम, बीइ्स पिलानी के राजीव गुप्ता ने सौंदर्यीकरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए तालाब और आसपास की लोकेशन का सर्वे कर चुके हैं। झील संरक्षण योजना में 0.18 वर्ग किमी में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण कर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए तालाब में मिलने वाले गंदे पानी के लिए तीन नालों में से बोहरा बाखल और लक्कड़पीठा वाले नाले पर वेटलैंड बनाया जाएगा। इसमें से गुजरने से पानी साफ होकर तालाब तक पहुंचेगा। वहीं, एक त्रिपोलिया गेट वाले को डायवर्ट कर त्रिवेणी मुक्तिधाम वाले नाले में मिलाया जाएगा। साथ ही पाल को चौड़ाकर पाथ-वे, मनोरंजन के लिए प्ले एरिया, बैठने के लिए गजेबो, पार्किंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जाएगी। इस पर 22.84 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से केंद्र सरकार ने पहली किस्त में 6.85 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार को दे दिया है। 4 करोड़ रुपए 4 फरवरी को दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासन को सौंप चुके हैं।

नाव में बैठकर तालाब की गहराई नापती इंदौर की टीम। भास्कर

### मुंबई की कंपनी एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन से साफ करेगी जलकुंभी

तालाब की दशा बदलने के लिए सबसे पहले इसमें फैली जलकुंभी को हटाया जाएगा। इसके लिए मुंबई की क्लीन टेक कंपनी ने करीब 3 करोड़ रुपए का टेंडर लिया है। कंपनी एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करेगी। दस साल तक मशीन का संचालन और मेंटिनेंस कंपनी ही करेगी। इसके अलावा गाद निकालने के लिए 3.30 करोड़ रुपए वाली ड्रेजिंग मशीन आएगी। इसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

दै. भास्कर 3/12/21

केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के तहत इंदौर से आए दल ने किया दौरा, पर्यटन स्थल के रूप में करेंगे विकसित

# अमृत सागर तालाब की गहराई नापी, पानी के सैंपल लिए, होगी जांच

**रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सुंदरीकरण के तहत गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए इंदौर से आए दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैंपल लिए। चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारों कोनों सहित एसडीआरएफ की मदद से बोट के जरिए तालाब के बीच में जाकर तालाब की गहराई नापी। तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दशोत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैंपल लिया गया। इसकी जांच होगी।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृत सागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सुंदरीकरण किया जाएगा। तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है। पानी छनकर व साफ होकर आए इसके लिए नालों पर वेटलैंड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउंड्रीवाल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाइटिंग, टीन टायलेट लाक, दुकानें, आफिस, गजीबो गेट, टिकट काउंटर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

## 22.84 करोड़ की योजना

झील संरक्षण योजना में 22.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन से तालाब की सफाई की जाएगी। तालाब की गाद निकालने के लिए भी ड्रैजर मशीन का उपयोग होगा। इसका टेंडर हो गया है। पहले इस योजना की लागत करीब 40 करोड़ आंकी गई थी। 0.18 वर्ग किलोमीटर में फैले तालाब में बोहरा बाखल तथा लक्कड़पीठा नाले का दूषित पानी मिलता है। गत एक-डेढ़ दशक से जलकुंभी की समस्या है।

**नीमच।** जन अभियान परिषद के स्वंयसेवकों ने ग्राम जाट में मप्र जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक वीरेंद्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में बोरी बंधान किया। नई.

बोट में सवार होकर अमृत सागर तालाब की गहराई नापते हुए दल के सदस्य। •नईदुनिया

नईदुनिया 3/12/21

नगर निगम ने तैयारी तक नहीं की शुरू

# सर्दी की कंपकंपी : अब तक अलाव नहीं जले

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में लगातार मावठे की जारी बारिश ने आमजन को कंपकंपी छुटा दी है। इसके बाद भी अब तक विभिन्न चौराहों पर नगर निगम ने अलाव जलाने की शुरुआत नहीं की है। अलाव जलाना तो दूर इसके लिए अब तक लकड़ियों की खरीदी के टेंडर तक जारी नहीं किए गए हैं।

बता दे कि नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष सर्दी बढ़ते ही शहर में जावरा रोड, स्टेशन के बाहर, दो बत्ती, नगर निगम, न्यू रोड, बाजना बस स्टैंड, महू रोड बस स्टैंड, राममंदिर, सैलाना बस स्टैंड जैसे प्रमुख क्षेत्र में अलाव जलाने की व्यवस्था करता है। इसके लिए रात 9 बजे से लकड़ियों को जलाया जाता है जिसका उपयोग देर रात तक रोड पर रहने वाले करते है। पिछली बार भी नगर निगम ने दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में इसके लिए टेंडर जारी किए थे व दिसंबर माह के अंत में अलाव जलाने की शुरुआत की थी। इस बार तो तैयारियों का ही अभाव नजर आ रहा है।

## इसलिए है जरूरी

असल में मावठे की बारिश से शहर में अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो गई है। जहां तीन दिन पूर्व तक दोपहर में तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता था वही अब यह गिरकर 16 से 18 डिग्री पर आ गया है। रात का तापमान तो और नीचे जा रहा है। ऐसे में अलाव की जरुरत अब तेजी से महसूस की जा रही है। शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में नगर निगम की देरी के चलते आमजन ने ही अलाव जलाना शुरू कर दिया है। शाम या रात तो दूर अब दिन में ही अलाव जलाने की नौबत आने लगी है।

## निर्देश जारी किए है

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसके लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने को कहा गया है।

**- सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका

पत्रिका 3/12/21

### माणकचौक और स्टेशन रोड पुलिस ने दो कालोनियों के पांच कालोनाइजरों पर केस दर्ज किया था

# 6 कॉलोनियों के 15 कॉलोनाइजरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, अवैध रूप से काटी थी कॉलोनी

**पत्रिका इनसाइड स्टोरी**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अवैध कालोनियों का निर्माण कर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले छह कालोनियों के 15 कालोनाइजरों पर शहर के तीन थानों में बुधवार और गुरुवार को धोखाधड़ी के आपराधिक केस दर्ज कर लिए गए हैं। पिछले महीने ही नगर निगम ने बुलडोजर से इन कालोनियों के निर्माण ध्वस्त किए थे। स्टेशन रोड और माणकचौंक पुलिस थाने के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में पांच कालोनाइजरों के खिलाफ बुधवार की रात को धोखाधडी के आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इसके बाद गुरुवार को डीडीनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली शेष चार और कालोनियों के 10 कालोनाइजरों पर भी केस दर्ज कर लिए गए हैं।

सभी कालोनाइजरों ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 05 की उपधारा 57 (क) एवं धारा 292-ग की उपधारा (1), (2), (3) एवं (4) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह उक्त कृत्य अवैध कालोनी निर्माण के अपराध की श्रेणी का होने से केस दर्ज किया।

## नोटिस के बाद भी जमा नहीं कराई राशि

निगम ने पिछले महीने इन कालोनियों में अपने संसाधनों से सड़क, बाउंड्रीवाल सहित अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए थे। इसके बदले निगम ने इन्हें 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से जेसीबी और अन्य संसाधनों का भी चार्ज जोड़ कर नोटिस दिया था। यह राशि अब तक जमा नहीं कराई गई।

### कालोनी नंबर - 1 ऊंकाला रोड

स्टेशन रोड पुलिस ने उंकाला रोड पर शगुनश्री कालोनी के पीछे सर्वे क्र. 1009/3/1 रकबा 1.3870 हैक्टेयर भूमि पर बनाई गई अवैध कालोनी के मामले में नगर निगम के सब इंजीनियर मनीष तिवारी के जांच प्रतिवेदन पर आरोपी तेज सिंह पिता शंभू सिंह धबाई निवासी धबाईजी का वास के विरुद्ध भादवि की धारा 420 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। कालोनाइजर शंभूसिंह ने बिना अनुमति के यह कालोनी भूखंड के रूप में काटी और भूखंड विक्रय कर दिए। ऐसा करके कालोनाइजर ने भूखंड खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी करने के साथ ही बिना अनुमति के काम करने का अपराध भी किया है।

### कालोनी नंबर-2 ग्रीन सिटी के पीछे

माणकचौक पुलिस ने अशोक नगर ग्रींन सिटी के पीछे बनाई जा रही सर्वे क्रमांक 534/2, 534/4/2/2, 534/4/1/2 व 534/4/2/1 रकबा 0.489 हेक्टेयर भूमि अवैध कालोनी के मामले में इंजीनियर ब्रजेश कुशवाह के प्रतिवेदन पर कालोनाइजर मुजीब पिता इनामुर रहमान निवासी अशोक नगर, अशरफ बेलिम पिता अब्दुल बेलिम, अब्दुल वहीद पिता अब्दुल कादिर निवासी मोहन टाकीज और बालकृष्ण पिता रामनारायण पिपलोदिया निवासी महावीर नगर के विरुद्ध भादवि की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। भूखंड काटकर भूखंड बेच दिए। यह कार्य बिना अनुमति के इन लोगों ने करके धोखाधड़ी की।

## डीडीनगर थाने में इन पर केस दर्ज हुआ

- डीडीनगर थाने के अंतर्गत कनेरी रोड पर कालोनाइजर शिवनारायण व अशोक कुमार पिता मांगीलाल राठौड़ निवासी रामगढ़ ने अपनी 2.75 हैक्टेयर जमीन में बिना अनुमति के भूखंड काट दिए। इन भूखंडों को कालोनी का स्वरूप देकर आम लोगों को बेच दिए। इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश और नगर निगम की कोई अनुमति नहीं ली गई।
- डीडीनगर पुलिस थाने के अंतर्गत ही कनेरी रोड पर एक अन्य कालोनाइजर धन्नालाल पिता बालाराम निवासी कनेरी रोड ने भी अपनी 0.960 हैक्टेयर जमीन को बिना अनुमति के भूखंड के रूप में तब्दील किया और फिर कालोनी का स्वरूप देकर आम लोगों को बेच डाला। इसके लिए उसने भी किसी तरह की कहीं से कोई अनुमति नहीं ली।
- कनेरी रोड पर ही कालोनाइजर राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश पिता मनोहरलाल शर्मा और विशाल पिता मनोहर लाल शर्मा के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इन्होंने 1.890 हैक्टेयर में कालोनी के भूखंड काट दिए और लोगों को बेच दिए। बिना अनुमति के भूखंड काट कर बेच दिए धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
- डीडीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ही धोलावड़ रोड पर 1.125 है. भूमि पर कालोनी काटने वाले सुमित गांधी, राजेश कटकानी निवासी पोरवाड़ों का वास, पंकज श्रीमाल निवासी बाजना बस स्टैंड और अरुणा पिता विजेंद्र पितलिया निवासी गुलमोहर कालौनी ने भी अवैध रूप से कालोनी काटकर नपा निगम के नियमों की अवहेलना करके लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इन पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।

पत्रिका

पत्रिका 3/12/21

**दिव्यांगता दिवस आज** आजीवन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राह आसान

# यूडीआइडी कार्ड से दिव्यांगों को मिली राष्ट्रीय पहचान

**विनोद कुमार शुक्ला० रतलाम**

जिले में दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष पहचान पत्र (यूडीआइडी कार्ड) जारी कर राष्ट्रीय पहचान दी गई। इसके माध्यम से आजीवन सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने भी आसानी हो गई है।

जिला सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग ने अब तक जिले में चि-ित 10275 दिव्यांगों में 91.38 प्रतिशत का यूडीआइडी कार्ड बनाया गया है। कार्ड के बनने से दिव्यांगों को विभिन्न कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस कार्ड के माध्यम से ही दिव्यांग पेंशन, नौकरी, यात्रा में छूट, इलाज आदि के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकेंगे। कार्ड में दिव्यांग के बारे में संपूर्ण डाटा होने से विभिन्न प्रमाणपत्र साथ लेकर नहीं चलना होगा। जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के कैलाशचंद्र महाजन ने बताया कि सभी दिव्यांगों का यूडीआइडी कार्ड बनाने का प्रयास है। दिव्यांग कार्ड के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व आरक्षित श्रेणी के दिव्यांगों को जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा कराना होगा। जांच के बाद कार्ड बन सकेगा। जिले में कुल 10275 दिव्यांग पेंशनधारी हैं, जिनमें से 7555 को यूडीआइडी कार्ड का लाभ मिलने लगा है।

## एक नजर में जिले की स्थिति

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल दिव्यांग | 10275 | दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन | 652 |
| यूडीआइडी कार्ड बने | 9389 | दिव्यांग पेंशन कुल लाभार्थी | 7555 |
| लंबित यूडीआइडी कार्ड | 886 | दिव्यांग प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड | 7536 |
| इंदिरा गांधी निशक्त पेंशन | 2095 | अपलोड करने सत्यापन के लिए शेष | 19 |
| मंदबुद्धि मानसिकता आर्थिक सहायता | 845 | इस साल निशुल्क दिए गए कृत्रिम अंग | 27 |
| सामाजिक सुरक्षा निशक्त पेंशन योजना | 3963 | दी गई ट्रायसिकल | 12 |

## इन योजनाओं का मिलता है लाभ

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन
- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
- इंदिरा निशक्त पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह,निकाह योजना
- माता-पिता भरण पोषण
- अंत्योदय मेला
- निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
- कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
- जनचेतना परिषद मुक्त बधिर विद्यालय संचालन
- निशक्त छात्रवृति

नईदुनिया 3/12/21

औचक निरीक्षण बंद होने से प्रभावित हो रही सफाई

# बस स्टैंड भी नहीं हो रहा साफ

**पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क**
patrika.com

रतलाम. वर्ष 2021 में स्वच्छता अभियान में नंबर एक पर आने के लिए नगर निगम ने जोर - शोर से दावे किए थे। इसके लिए कई तरह के नवाचार किए। नंबर एक पर नहीं आए तो अब तैयारी 2022 में नंबर एक पर आने के किए जा रहे है। हकीकत यह है कि अधिकारियों के औचक निरीक्षण बंद होने का असर शहर के सार्वजनिक स्थान पर होने वाली सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है।

शहर के महू रोड स्थित कुशाभाऊ ठाकरे बस स्टैंड पर गंदगी जमा हो गई है। डस्टबिन पूरा भर गया है व इसको खाली करवाने के लिए भी दल नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बस स्टैंड के कर्मचारियों के अनुसार यहां पर प्रतिदिन कचरा संग्रहण करने वाला मैजिक वाहन भी सोमवार से नहीं आया है। ऐसे में स्वच्छता अभियान प्रभावित हो रहा है। इस बस स्टैंड पर राजस्थान, महाराष्ट्र सहित मध्यप्रदेश के कई शहरों से बस आती है। ऐसे में गंदगी से कई तरह की मौसमी बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद भी नगर निगम इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा है।

## औचक निरीक्षण बंद

सर्दी क्या बढ़ी, अधिकारियों के सुबह होने वाले औचक निरीक्षण बंद हो गए है। एक सप्ताह पूर्व तक नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, उपायुक्त विकास सोलंकी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल शहर में अलग-अलग क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर रहे थे व जहां स्वच्छता अभियान में कमी नजर आती थी, उसको तुरंत सुधार के लिए कहा जाता था। इतना ही नहीं, कर्मचारी के काम से नदारत पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाती थी। पिछले एक सप्ताह से निरीक्षण बंद होने से विभागीय कार्रवाई भी बंद हो गई है। इससे स्वच्छता अभियान पर असर साफ नजर आ रहा है।

अन्य प्राथमिकताओं के चलते निरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ है यह सही है। लेकिन जहां कमी है वहां की सूचनाएं ली जा रही है। स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्त ननि

पत्रिका

पत्रिका 3/12/21

खुश खबर

# अमृत सागर तालाब से लिए पानी के नमूने

## झील संरक्षण योजना में इंदौर से आए दल ने शुरू किया काम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण के तहत गन्दे पानी के ट्रीटमेंट के लिए इंदौर से आये दल ने तालाब के विभिन्न क्षेत्रों से गुरुवार को पानी के नमूने लिए है।

इंदौर की चार सदस्यीय टीम ने तालाब के चारों कोनों सहित एसडीआरएफ की मदद से बोट के जरिए तालाब के बीच में जाकर तालाब की गहराई नापी। तालाब में शहर के नालों से आ रहे गंदे पानी का ट्रीटमेंट किये जाने हेतु टीम ने निगम अधिकारी अरविंद दशोत्तर प्रभारी अधिकारी अमृतसागर झील संरक्षण, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक के साथ सर्वे भी किया। तालाब में गंदे पानी से बने दलदल का भी सैम्पल लिया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि केंद्र सरकार की झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अमृत सागर तालाब का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

### यह भी होगा काम

इसके अलावा श्री गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री, अरविन्द दशोत्तर, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा उपस्थित थे।

पत्रिका

पत्रिका 3/12/21

## प्रशासन ने वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की

रतलाम। वैक्सीनेशन का दूसरा डोस ड्यू होने के बाद भी टीका नही लगवाने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में की जा रही यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। रतलाम शहर में ड्यू डेट निकलने के बाद भी टीकाकरण में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। रतलाम शहर एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नही लगाया है ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। ऐसे लोगों द्वारा वैक्सीनेशन न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी में है तो उसे नोटिस दिया जाएगा, किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो उस प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले डोज के 84 दिन बाद दूसरा डोस लगवाना है लेकिन कई लोग काफी लापरवाही बरतते हुए डेढ़ सौ, दो सौ दिन बाद भी दूसरा डोज नही लगवा रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने ड्यू डेट वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे वैक्सीनेशन का दूसरा डोस लगवा कर स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। प्रसारण।

प्रसारण 3/12/21

## आज से दो दिन घर-घर जाकर लगाएंगे टीका

रतलाम | रतलाम शहर को इस सप्ताह 100% वैक्सीनेटेड करने की तैयारी है। शहर में 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घर-घर टीमें जाएंगी। दुकानदार बगैर दोनों डोज वैक्सीनेशन के मिले तो कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने बताया शुक्रवार को सिर्फ रतलाम शहर, पिपलौदा और रतलाम ग्रामीण जनपद पंचायत क्षेत्रों में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। भास्कर

द. भास्कर 3/12/21

## प्रशासन ने वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की

रतलाम। वैक्सीनेशन का दूसरा डोस ड्यू होने के बाद भी टीका नहीं लगवाने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में की जा रही यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। रतलाम शहर में ड्यू डेट निकलने के बाद भी टीकाकरण में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। रतलाम शहर एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने बताया कि शहर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यू डेट निकलने के बाद भी अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के निवास, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल की जानकारी भी एकत्र कर ली गई है। ऐसे लोगों द्वारा वैक्सीनेशन न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। अवन्तिका।

अवन्तिका 3/12/21

# बगैर मास्क के पाए जाने पर एक ही दिन में 15000 वसूला जुर्मान

खबर का असर

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

**रतलाम.** शहर में कोरोना की तीसरी संभावित लहर की चेतावनी के बाद भी कई लोग बगैर मास्क के रोड पर निकल रहे हैं। इसके बाद पत्रिका ने गुरुवार को सिर्फ लटकता दिखा मास्क शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया था। इसके बाद नगर निगम ने इससे संज्ञान लिया व दिनभर में 100, 200 रुपए का दंड बगैर मास्क लगाए हुए लोगों पर लगाए। इससे एक ही दिन में 15 हजार रुपए का अर्थदंड निगम के खजाने में जमा हुआ है।

शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अब भी लोग बगैर मास्क के आना - जाना कर रहे हैं। ऐसे में पत्रिका ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए प्रशासन व आमजन को चेताते हुए खबर का प्रकाशन किया था। इसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का दल मैदान में उतरा व शहर के कई क्षेत्रों में जाकर बगैर मास्क वाले लोगों को रोक - रोककर मास्क लगाने की प्रेरणा दी व अर्थदंड भी लगाया।

## एक दो स्थान पर कहासुनी भी हुई

हालांकि कुछ स्थान पर लोगों ने निगम के दल के साथ कहासुनी भी की। शहर सराय क्षेत्र में एक बाइक चालक ने मास्क के बारे में कहा की उसको सांस लेने में समस्या होती है इसलिए नहीं लगाया, इसके बाद निगम के दल ने 100 रुपए का दंड लगाते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा लगाई गई धारा 144 का हवाला देते हुए आदेश दिखा दिया। इसके बाद युवक ने चुपचाप दंड की राशि जमा करवाई।

## लगातार चलेगा अभियान

निगम के आला अधिकारियों के अनुसार मास्क को लेकर सचेत करने के लिए अभियान लगातार चलेगा। इसके लिए अगले सप्ताह से निगम का दल मास्क लेकर साथ चलेगा। दंड की राशि के साथ - साथ बगैर मास्क वालों को निगम का दल मास्क भी वितरीत करेगा
लिए रोको - टोको अभि
अंतर्गत कार्रवाई की जाए
व्यक्ति पहली बार बगैर म
मिला उस पर 100 रुपए, दू
200 रुपए व तीसरी बार मि
500 रुपए का दंड लगाया ज

## मास्क लगाए सभी

निगम ने बगैर मास्क व
खिलाफ रोको - टोको
अभियान की शुरुआत की है
लोग बगैर मास्क पाए जाएंगे
पहली बार 100 रुपए का दं
लगाया जाएगा। बेहतर यह है
दंड की नौबत नहीं आए व स
स्वयं की सुरक्षा के लिए मास्
लगाकर ही घर से निकले।

**- सोमनाथ झारिया,** आयु
निगम

पत्रिका 3/12/21